कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक/प्रबन्ध/ /2020–21 दिनांकः–16/12/2020

(कार्यालय–आदेश)

कार्यालय पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/7602/2019–20 दिनांक 23.11.2019 के द्वारा एस0आर0 इन्टरनेशनल ग्राम जई, नंगला साहू परीक्षितगढ, (मेरठ) को कक्षा–01 से 05 तक (अंग्रेजी माध्यम) को का 01 वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 14.12.2020 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

"विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–89–अरसठ–3–2018–2041/2018 शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 11.01.2019 के खण्ड 02 के प्रस्तर–04 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी"।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले एक वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/7602/2019–20 दिनांक 23.11.2019 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0/प्रबन्ध/4967–71 /2020–21दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, एस0आर0 इन्टरनेशनल ग्राम जई, नंगला साहू परीक्षितगढ, (मेरठ)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक/प्रबन्ध/ /2020–21 दिनांकः– 16/12/2020

(कार्यालय–आदेश)

कार्यालय पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/7483–87/2019–20 दिनांक 16.11.2019 के द्वारा एस0आर0 इन्टरनेशनल ग्राम जई, नंगला साहू परीक्षितगढ, (मेरठ) को कक्षा–06 से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को का 01 वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 14.12.2020 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

"विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–89–अरसठ–3–2018–2041/2018 शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 11.01.2019 के खण्ड 02 के प्रस्तर–04 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी"।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले एक वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/7483–87/2019–20 दिनांक 16.11.2019 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0/प्रबन्ध/4977–81 /2020–21दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, एस0आर0 इन्टरनेशनल ग्राम जई, नंगला साहू परीक्षितगढ, (मेरठ)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।